



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 410] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 16, 1976/भाद्र 25, 1898

No. 410] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16, 1976/BHADRA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

### NOTIFICATION

#### INCOME-TAX

New Delhi, the 16th September 1976

**S.O. 615(E).**—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. These rules may be called the Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 1976.
2. After rule 11B of the Income-tax Rules, 1962, the following rule shall be inserted, namely:—

“11C. Prescribed field for the purposes of deduction in respect of remuneration from foreign employers under section 80RRA.—For the purposes of clause (vi) of Explanation 2 to section 80RRA, the prescribed field shall be the field of journalism.”

[No. 1488/F.No.142(36)/76-TPL]

O. P. BHARDWAJ,  
Secretary, Central Board of Direct Taxes.

## केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आयकर

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1976

का० आ० 615 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) धारा 295 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम आयकर (षष्ठ संशोधन) नियम, 1976 है।
2. आयकर नियम, 1962 के नियम 11ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“11 ग. धारा 80 द द क के अधीन विदेशी नियोजकों से पारीश्रमिक की बाबत कटौती के प्रयोजनों के लिए विहित क्षेत्र—धारा 80 द द क के स्पष्टीकरण 2 के खण्ड (vi) के प्रयोजनों के लिए विहित क्षेत्र पत्रकारिता का क्षेत्र होगा।”।

[सं० 1488/फा० सं० 142 (36)/76-टी पी एल]

श्री० पी० भारद्वाज,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976